

भाजपा आईटी सेल एवं विधि प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी घोषित

सक्ती। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल प्रकोष्ठ एवं विधि प्रकोष्ठ द्वारा 9 मार्च को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला संयोजको की घोषणा की गई, जिसमें जांजगीर-चांपा जिले से आईटी सेल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पद पर जांजगीर के संतोष साहू को नियुक्त किया गया है, तो वहीं विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक पद पर अकलतरा के अधिवक्ता मनोज मिश्रा को बनाया गया है, साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में भी जांजगीर-चांपा जिले से सदस्यों को स्थान मिला है, एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा आईटी सेल प्रकोष्ठ एवं विधि प्रकोष्ठ की घोषित कार्यकारिणी में नवनियुक्त सभी पदाधिकारी सदस्यों को जांजगीर-चांपा जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं।

सतरभेदी पूजा के साथ सम्पन्न हुआ कैवल्यधाम तीर्थ में 13 वां ध्वजारोहण महोत्सव



कुम्हारी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कैवल्यधाम में श्री आदिनाथ भगवान सहित उनतीस मंदिरों में सत्तर भेदी पूजा के साथ ही कायमी लाभार्थी परिवार व ध्वजा फहराने का लाभ लेने वाले परिवारों ने तुरंगविद संघ की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि प्रमुख शहरों से हजार की संख्या में श्रावक-श्राविकाओं ने शामिल होकर धर्म प्रभावना का लाभ लिया। तीर्थ के महामंत्री सुपारसचंद्र गोलछा ने बताया कि भक्ति -गीत -संगीत के साथ इंदौर से आये विधिकारक श्री अरविन्द जी चौरङ्गिया की टीम ने जोरदार वातावरण निर्मित किया। भक्ति भाव से सराबोर श्रद्धालुओं ने भगवान के समक्ष नृत्य कर महोत्सव को महामहोत्सव बना दिया। मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की ध्वजा के लाभार्थी महानबाई जसराज बरडिया परिवार ने आज के महोत्सव की पूजा सहित स्वामी वात्सल्य का लाभ लिया। इस अवसर पर कैवल्यधाम तीर्थ के समस्त पदाधिकारीगण, विचक्षण जैन विद्यापीठ के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित थे।

घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूलता मिला 22 वर्षीय युवक का शव

रायगढ़। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोपापल्ली देहरी डिग्रा (लोहंर) में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के एक 22 वर्षीय युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी इश्लीला समाप्त कर लिया। सूचना मिलने के बाद चक्रधर नगर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मार्ग कायम कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक राजेश खड्गिया पिता भरत खड्गिया उम्र 22 वर्ष शराब का शौकीन जो अक्सर शराब पीकर गांव भर में गांव के लोगों से गाली गलौज किया करता था। आठ माह की शाम घटना के दिन भी युवक शराब सेवन किया था और घर पर विवाद किया। जिसकी वजह से उसकी भाभी, मां और भाई घर से बाहर निकल कर गांव वालों को समझाइश देने के लिए बुलाने गए थे।

रायपुर विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, भवन माता कर्म व्यवसायिक परिसर न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492006
ई-मेल - ceordaryp@gmail.com, वेबसाइट - www.rdarajpur.com
फोन - (0771) 2536188 पीबीएक्स - 2533788 फैक्स 2534688

“उद्घोषणा”
क्रमांक 2532/आर.सी./रा.वि.प्र/2021,
रायपुर, दिनांक 10.3.21
प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर (नाले के पास कण्डा मार्केट) योजना के अन्तर्गत श्रीमती मंजू लालवानी पति श्री अनूप कुमार को भूखण्ड क्रमांक 02 क्षेत्रफल 142 वर्गफुट, 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटित है। आबंटिती द्वारा उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा होवे तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।
दिनांक 10.3.21 को जारी।
राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर छ.ग.
मुहर

रायपुर विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, भवन माता कर्म व्यवसायिक परिसर न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492006
ई-मेल - ceordaryp@gmail.com, वेबसाइट - www.rdarajpur.com
फोन - (0771) 2536188 पीबीएक्स - 2533788 फैक्स 2534688

“उद्घोषणा”
क्रमांक 2534/आर.सी./रा.वि.प्र/2021,
रायपुर, दिनांक 10.3.21
प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर (इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर) योजना के अन्तर्गत श्री सुलोकना हबलानी पति श्री पूरन लाल हबलानी को भूखण्ड क्रमांक 45 क्षेत्रफल 795 वर्गफुट, 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटित है। आबंटिती द्वारा उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा होवे तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।
दिनांक 10.3.21 को जारी।
राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर छ.ग.
मुहर

रायपुर विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, भवन माता कर्म व्यवसायिक परिसर न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492006
ई-मेल - ceordaryp@gmail.com, वेबसाइट - www.rdarajpur.com
फोन - (0771) 2536188 पीबीएक्स - 2533788 फैक्स 2534688

“उद्घोषणा”
क्रमांक 2533/आर.सी./रा.वि.प्र/2021,
रायपुर, दिनांक 10.3.21
प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर (इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर) योजना के अन्तर्गत श्री नरेश कुमार हबलानी पिता श्री पूरन लाल हबलानी को भूखण्ड क्रमांक 93 क्षेत्रफल 795 वर्गफुट, 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटित है। आबंटिती द्वारा उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा होवे तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।
दिनांक 10.3.21 को जारी।
राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर छ.ग.
मुहर

रायपुर विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, भवन माता कर्म व्यवसायिक परिसर न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492006
ई-मेल - ceordaryp@gmail.com, वेबसाइट - www.rdarajpur.com
फोन - (0771) 2536188 पीबीएक्स - 2533788 फैक्स 2534688

“उद्घोषणा”
क्रमांक 2537/आर.सी./रा.वि.प्र/2021,
रायपुर, दिनांक 10.3.21
प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर योजना के अन्तर्गत श्री हरीश राठौर पिता श्री भांजीभाई राठौर को भूखण्ड क्रमांक सी-152/1 (कार्नेर) क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट, 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटित है। आबंटिती द्वारा उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा होवे तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।
दिनांक 10.3.21 को जारी।
राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर छ.ग.
मुहर

रायपुर विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, भवन माता कर्म व्यवसायिक परिसर न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492006
ई-मेल - ceordaryp@gmail.com, वेबसाइट - www.rdarajpur.com
फोन - (0771) 2536188 पीबीएक्स - 2533788 फैक्स 2534688

“उद्घोषणा”
क्रमांक 2537/आर.सी./रा.वि.प्र/2021,
रायपुर, दिनांक 10.3.21
प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर योजना के अन्तर्गत श्री हरीश राठौर पिता श्री भांजीभाई राठौर को भूखण्ड क्रमांक सी-152/1 (कार्नेर) क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट, 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटित है। आबंटिती द्वारा उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा होवे तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।
दिनांक 10.3.21 को जारी।
राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर छ.ग.
मुहर

रायपुर विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, भवन माता कर्म व्यवसायिक परिसर न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492006
ई-मेल - ceordaryp@gmail.com, वेबसाइट - www.rdarajpur.com
फोन - (0771) 2536188 पीबीएक्स - 2533788 फैक्स 2534688

“उद्घोषणा”
क्रमांक 2537/आर.सी./रा.वि.प्र/2021,
रायपुर, दिनांक 10.3.21
प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर योजना के अन्तर्गत श्री हरीश राठौर पिता श्री भांजीभाई राठौर को भूखण्ड क्रमांक सी-152/1 (कार्नेर) क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट, 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटित है। आबंटिती द्वारा उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा होवे तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।
दिनांक 10.3.21 को जारी।
राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर छ.ग.
मुहर

रायपुर विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, भवन माता कर्म व्यवसायिक परिसर न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492006
ई-मेल - ceordaryp@gmail.com, वेबसाइट - www.rdarajpur.com
फोन - (0771) 2536188 पीबीएक्स - 2533788 फैक्स 2534688

“उद्घोषणा”
क्रमांक 2537/आर.सी./रा.वि.प्र/2021,
रायपुर, दिनांक 10.3.21
प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर योजना के अन्तर्गत श्री हरीश राठौर पिता श्री भांजीभाई राठौर को भूखण्ड क्रमांक सी-152/1 (कार्नेर) क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट, 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटित है। आबंटिती द्वारा उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा होवे तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।
दिनांक 10.3.21 को जारी।
राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर छ.ग.
मुहर

रायपुर विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, भवन माता कर्म व्यवसायिक परिसर न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492006
ई-मेल - ceordaryp@gmail.com, वेबसाइट - www.rdarajpur.com
फोन - (0771) 2536188 पीबीएक्स - 2533788 फैक्स 2534688

“उद्घोषणा”
क्रमांक 2537/आर.सी./रा.वि.प्र/2021,
रायपुर, दिनांक 10.3.21
प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर योजना के अन्तर्गत श्री हरीश राठौर पिता श्री भांजीभाई राठौर को भूखण्ड क्रमांक सी-152/1 (कार्नेर) क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट, 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटित है। आबंटिती द्वारा उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उक्त भूखण्ड को फ्री-होल्ड किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा होवे तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।
दिनांक 10.3.21 को जारी।
राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर छ.ग.
मुहर

उप पुलिस अधीक्षक साधना सिंह नोडल अधिकारी नियुक्त



महुआ शराब एवं महुआ शराब बनाने हेतु उपयोग में लाने हेतु 35 लीटर वाली डिब्बो मे 44 डिब्बा महुआ पास एवं 05 लीटर वाली डिब्बा में कुल 28 डिब्बो मे एवं साथ ही एक ड्रम मे बनाये महुआ पास बरामद होने से परदेशी बंजारे पिता चौत राम बंजारे उम्र 53 वर्ष निवासी तर्कीडीह अमलीकापा के

हरदेव प्रसाद बारले उम्र 26 वर्ष निवासी तर्कीडीह अमलीकापा थाना जरहागांव के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत एवं मौके पर संधिध रूप से मिलने पर शैलेन्द्र बजारे पिता परदेशी बंजारे उम्र 27 वर्ष निवासी अमलीकापा, अमिताभ माथुर उम्र 28 वर्ष निवासी छिरहा थाना तखतपुर, संजीव बांधले पिता मुलुचंद्र बांधले उम्र 21 वर्ष निवासी नवापारा थाना तखतपुर के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही मे उप पुलिस अधीक्षक साधना सिंह के हमराह मे थाना प्रभारी जरहागांव राजकुमार साहू आश्वक पंकज निर्णनेजक, लोनेश राजपुत, मणिशंकर शुक्ला, योगेश यादव, गिरीराज परिहार, कुलदीप सिंह, रवि मिंज, रमाशंकर जायसवाल, अनिल यादव, विरेन्द्र राजपुत, नागेश साहू, सुशांत पाण्डेय उम्र 53 वर्ष निवासी तर्कीडीह अमलीकापा एवं हरप्रसाद पित

आईटल और बजाज फिनसर्व की पेशकश, जीरो डाउन पेमेंट एवं नो-कॉस्ट ईएमआई संग प्रलब्ध

रायपुर। जनता के लिए टेक्नोलॉजी को जनतात्रिक बनाने के अपने ध्येय पर आगे बढ़ते हुए देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड आईटल ने आज बजाज फिनसर्व के साथ रणनीतिक सहभागिता की घोषणा की जिसके जरिए आईटल ब्रांड के स्मार्टफोन ग्राहकों के लिए सुलभ बनाए जाएंगे। इस स्कीम के तहत आईटल अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन, 48८, 25 Pro, विग्न 1 (3जीबी) और विग्न 1 PRO पेश किए जा रहे हैं जो 4जी एलटीडी व ५ईडी फीचर्स से युक्त हैं तथा इन्हें जीरो डाउन पेमेंट एवं नो-कॉस्ट ईएमआई के संग उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी स्मार्टफोन रु. 299 में रखेदे जा सकते हैं और बाकी भुगतान चार आसान ईएमआई द्वारा करना होगा। इस सुविधा के चलते ये स्मार्टफोन अत्यंत किफायती हो गए हैं और जो ग्राहक अपना फीचर फोन छोड़ कर अब स्मार्टफोन लेना चाहते हैं उनके लिए यह बेहतरीन सुविधा है। यह स्कीम भारत के 26 राज्यों के 1200 से अधिक शहरों में बजाज डीलर्स के पास उपलब्ध है तथा बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क काई के मौजूदा ग्राहकों के लिए लागू है।



सक्ती। आयुष्म धिभाग भारत सरकार के कार्यक्रम आयु संवाद कार्यक्रम के तहत 09 मार्च को शासकीय हाईस्कूल जेठ में छत्र, छात्राओं और प्राचार्य तथा शिक्षकों की उपस्थिति में कोविड-19 और आयुर्वेद विषय पर चर्चा, सेमिनार आयोजित किया गया। महामारी की उत्पत्ति, फैलाव, बचने के उपाय व लक्षणों की विस्तृत चर्चा कर इस महामारी पर डॉ. उत्तम कुमार गबेल आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी अमलडीहा ने प्रकाश डाला, महामारी से हम प्रभावित न हो इसके लिए पौष्टिक और संतुलित आहार, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम की जानकारी सभी को दी गई तथा ब्रोशर पाम्पलेट बांटा गया। कूष्ठ योगासनों को करके भी बताया गया। इम्प्लूटी बढ़ाव वाली आयुर्वेद औषधियों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य के राठौर, व्याख्याता रविन्द्र राठौर, अन्वका उपाध्याय, अन्निमा तिरवी, माया ड तथा औषधालय सेवक मनोहर लाल राज उपस्थित थे।

शासकीय शिक्षक अपनी गलती छिपाने पत्रकार से मारपीट करने पर उतारू

पत्रकार को बदनाम करने का षड्यंत्र

पत्रकार को बदनाम करने के लिया शिक्षक राजेश मनहर द्वारा स्कूल के बाहर से दिनेश को बुलाकर पत्रकार के साथ धक्का - मुक्का कि गई, इसका वीडियो बनाकर फर्जी पत्रकार, वसुलीबाज करके वीडियो को वायरल किया गया। जबकि विडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह शिक्षक राजेश मनहर द्वारा पत्रकार को घसीटा जा रहा है, मोबाइल छीना जा रहा है, खुलेआम धमकी दी जा रही है, वहीं पत्रकार पर हाथापाई करने कि कोशिश भी की गई। शिक्षक के हौसला बुलंद, आधिकारियों भी बचाने के फिर्का में नाम नहीं छापने की शर्त पर एक गामीण ने बताया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किकिरदा में पदस्थ शिक्षक राजेश मनहर हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, समय से कभी स्कूल नहीं पहुंचते, शिक्षक द्वारा ऊंची पहुंच का रोब दिखाया जाता है।

छग वेलफेयर युनियन ने की निंदा

वहीं पत्रकार के साथ ही हाथापाई को लेकर छ.ग वेलफेयर युनियन के बहनहीडीह ब्लॉक अध्यक्ष रैनक सराफ के नेतृत्व में पूरी पत्रकारों कि टीम ने बिरां थाने पहुंचकर दोषी शिक्षक के ऊपर कार्यवाही करके कि मांग की हैं। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष रैनक सराफ ने कहा कि लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं आज हमारे पत्रकार साथी के साथ जो घटना घटी वो निंदनीय है वहीं पर जेजेपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष धनेश्वर साहू ने घोर निंदा किया है और ताल से ताल मिलाने की बात कहा, विडियो में शिक्षक कि करतूत नजर आ रही हैं , शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं तो आगे संगठन के वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करके आगे कि रणनीति तैयार कि जायेगी। वहीं ब्लॉक प्रका 1 जितेन्द्र तिवारी ने कहा कि हमारे पत्रकार साथी सत्ताबंद जायसवाल पर न्युज कदरेज करने के दौरान शिक्षक राजेश मनहर, बाहरी व्यक्ति दिनेश बर्मन के द्वारा हमला किया गया जिसकी हम घोर निंदा करते हैं आज हम बिरां थाना पहुंचकर दोषियों पर कार्यवाही कि मांग कि है अगर जल्द ही इसपर कार्यवाही नहीं कि जाती तो संगठन द्वारा आगे कि रणनीति तैयार की जायेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी से मोबाइल से संपर्क करना चाहा तो कॉल रिसीव करना अधिकारी ने उचित नहीं समझा।

-**मीता मुखर्जी**, जिला शिक्षा अधिकारी शांति

एनटीपीसी लारा में कॉर्पोरेट कम्प्युनिकेशन की उभरती प्रवृत्ति पर कार्यशाला आयोजित



पायनियर संवाददाता < रायगढ़
www.dailypioneer.com

भारत में कॉर्पोरेट कम्प्युनिकेशन की उभरती प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए एनटीपीसी लारा में 09 मार्च 2021 को कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला को अतिथि वक्ता अमित पुरोहित द् वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद तथा डॉ संजय शेखर, विश्व पत्रकार एवं पोस्ट डाक्टरल फेलो,आईसीएसएसआर ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कारपोरेट कम्प्युनिकेशन के संबंध में नवीनतम शोध कार्य, केस स्टडी एवं अपने अनुभव साझा किया। कार्यक्रम के दौरान एनटीपीसी लारा के कारपोरेट

कम्प्युनिकेशन विभाग द्वारा तैयार स्टोरी उसने देखा था एक सपना का विमोचन किया गया। यह स्टोरी पीपीए बैच की डिस्लोमा प्रशिक्षु किशोरी साव के अनुभव पर आधारित है।

इस स्टोरी को केंद्रीय कार्यालय ने भी अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्थान दिया है। कार्यक्रम में एनटीपीसी लारा के मुख्य महाप्रबंधक आलोक गुप्ता, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक प्रेमदास टी, समस्त अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार गिप्पा एवं हिमानी शर्मा द्वारा किया गया।

कार्यालय नगर पालिक निगम
जो.क. 5, रायपुर

इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी टैक्सी, रायपुर (छ.ग.)
0771-4045819, E-MAIL :- rmcncenr@gmail.com

-: इतिहास / आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना :-

नामांतरण प्र.क्र. 453/2020-2021 दिनांक 09.03.21
वाई का नाम- भवन माता कर्मा वाई क्र. 67
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भवन माता कर्मा वाई क्रमांक 67 वाई करन नगर स्थित भवन 77.44 वर्गमीटर क्षेत्रफल 833.3 वर्गफुट की निगम अधिलेख में श्री/श्रीमती लोमेश हनवत पिता श्री चैनलाल हनवत के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती सरिता एड्डे पति श्री सुनील एड्डे ने रजिस्ट्री / लिखित द्वारा वंशानुक्रम / अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त कर नामांतरण किया गया है।
उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार को आशेष/दावा हो अथवा आवेदन प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 23.03.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। समयावधि परचात्रा प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

नयब तहसीलदार
एवं कार्यापालिक एरुडाधिकारी
केशकाल, जिला कोण्डागंव (छ.ग.)

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यापालिक
दण्डाधिकारी, केशकाल जिला कोण्डागंव (छ.ग.)

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर

महुर